



2026:AHC:127116

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० - 19634/2026

नीरज उर्फ नीलू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

---

आवेदक के अधिवक्ता

: बाबुल कुमार शर्मा

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय सं० - 5**

**माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.के. शर्मा, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन, मु.अ.सं० 45 सन् 2026, अन्तर्गत धारा 70(1), 351(3), 123, 3(5) बी.एन.एस., थाना- टहरौली, जिला- झांसी में जमानत पर मुक्त करने हेतु दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है तथा पीड़िता ने भी बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के अन्तर्गत अभिलिखित अपने कथनों में उसका नाम नहीं लिया है। आवेदक की संलिप्तता संबंधी कोई साक्ष्य नहीं है; उसका नाम केवल सह-अभियुक्त के कथन के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधार पर सामने आया है। कोई शिनाख्त परेड (टी.आई.पी.) आयोजित नहीं की गई। आवेदक की कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दि० 15.03.2026 से कारागार में है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जमानत मिलने पर वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दण्ड की गम्भीरता तथा पक्षकारों के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मुझे उचित प्रतीत होता है कि आवेदक जमानत का अधिकारी है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. अभियुक्त-आवेदक **नीरज उर्फ नीलू**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसके लिए उस पर आरोप है या जिस अपराध को करने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक को यह वचन पत्र देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर खुद या अपने वकील के जरिए पेश होना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए (जो बीएनएस की धारा 269 के बराबर है) के तहत कार्रवाई कर सकती है।

(v) अगर कोई व्यक्ति सुनवाई के दौरान जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 (जिसके बराबर बीएनएसएस की धारा 84 है) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर वह व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के मुताबिक आईपीसी की धारा 174-ए (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 209 है) के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) (vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) सुनवाई शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सीआरपीसी की धारा 313 (जिसके बराबर बीएनएसएस की धारा 351 है) के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो न्यायालय इस चूक को जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में विचारण न्यायालय द्वारा यह जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

12 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।